बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03 / 02–भू0अ0नि0(आरोप)जमुई–13 / 2023..8316 पटना, दिनांक :–03/10/2023

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 112 दिनांक 11.02.2023 द्वारा मो0 हबीबउल्लाह, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02764) के विरूद्ध लगातार निदेश दिए जाने के बावजूद निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने, उच्चाधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 1742 दिनांक 23.02.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। प्राप्त स्पष्टीकरण पर निदेशालय पत्रांक 2630 दिनांक 03.04.2023 एवं स्मार पत्रांक 4315 दिनांक 22.05.2023 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी से अनुशंसा सहित सुस्पष्ट मंतव्य की मांग की गयी है।

अपर समाहर्त्ता–सह--प्रभारी पदाधिकारी के पत्रांक 368 दिनांक 25.05.2023 द्वारा मंतव्य भेजा गया है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि आरोपित द्वारा सुरौधा ग्राम के खानापुरी कार्य में 09 माह का समय लिया गया है जबकि उक्त ग्राम का खेसरा मात्र 445 है। साथ ही यह भी अंकित किया गया है कि शिविर के पदाधिकारियों से इनका व्यवहार हमेशा विवादपूर्ण रहा है, जिसके कारण कोई भी शिविर प्रभारी इन्हें ग्राम आवंटित नहीं करना चाहते हैं। साथ ही साथ सर्वे की कोई जानकारी नहीं रहने एवं कार्य में अभिरूचि नहीं लेने के कारण चयन मुक्त करने का मंतव्य दिया गया है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में नैसर्गिक न्याय का पालन करते हुए पुनः भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 5736 दिनांक 11.07.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है। आरोपित द्वारा यह तर्क दिया गया है कि ग्राम सुरौंधा के आधे से ज्यादा रैयत दूसरे ग्राम में रहते थे एवं समय पर नहीं आते थे, जिसके कारण सर्वेक्षण कार्य ससमय पूरा नहीं हो सका है। साथ ही यह अंकित किया गया है कि इनको कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करने के लिए बोला जाता है, तो ये लिखित प्रमाण मांगते हैं। साथ ही साथ यह भी अंकित किया गया है कि ये अपने कार्य के लिए सक्षम कर्मी हैं और बिना समय बर्बाद किए कार्य करते हैं।

लगाए गए आरोप, प्राप्त अनुशंसा एवं आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपित द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि इनके द्वारा ससमय कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, जो प्रभारी पदाधिकारी द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि करता है। ससमय कार्य पूर्ण नहीं करने के लिए जिस तथ्य का सहारा लिया गया है, वह मान्य नहीं किया जा सकता है। साथ ही इनका यह कथन की ये बिना समय बर्बाद किए अपना कार्य करते हैं। यदि इनके द्वारा समय पर कार्य किया जाता तो 445 वाले खेसरों के राजस्व ग्राम में 09 माह का समय नहीं लिया जाता। इससे स्पष्ट है कि आरोप से बचने के लिए इनके द्वारा अस्पष्ट एवं भ्रामक स्पष्टीकरण दिया गया है।

क्र०प्र०उ०

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने हेतु विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का नियोजन किया गया है। ऐसे कर्मियों के रहते निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। साथ ही इनके कृत्य का प्रभाव अन्य कर्मियों पर भी पड़ सकता है, जो सर्वेक्षण जैसे समयबद्ध कार्यक्रम के लिए उचित नहीं होगा। इस परिपेक्ष्य में इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना ही कार्यहित में उचित है।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)"** में वर्णित प्रावधान के तहत मो0 हबीबउल्लाह, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02764) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

(जय सिंह) 29/9/23
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0(आरोप)जमुई–13 / 2023 8316 **पटना, दिनांक** :– 03/10/2023
प्रतिलिपि :– मो0 हबीबउल्लाह, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02764), बंदोबस्त कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0(आरोप)जमुई–13 / 2023 8316 **पटना, दिनांक** :– 03/10/2023
प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0(विशेष सर्वेक्षण कर्मी)शिवहर–40 / 2022 8316 **पटना, दिनांक** :– 03/10/2023
प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय अन्तर्गत R2R में संधारित इनकी व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक 29/9/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप